न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द

(श्याम लाल गुर्जर, आई.ए.एस. जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्या 17/2016

दायर दिनांक : 21.03.2016

आदेश दिनांक : 28.08.2018

अनवान

ग्राम पंचायत, भीम जरिये सरपंच गिरधारीसिंह पिता खुमसिंह रावत, निवासी बदनोर रोड़ भीम, तहसील भीम जिला राजसमन्द

......अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम

..........रेस्पोडेंण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 2735 स्वीकृत दिनांक 05.05.1995 पारित द्वारा तहसीलदार, भीम से व्यथित होकर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1 श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी

2. श्री कैलाश बोल्या, पैरोकार सरकार

यह नामान्तरण अपील तहसीलदार, भीम द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 2735 दिनांक 05.05.1995 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 18.03.2016 को प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भीम, पटवार हल्का भीम, तहसील भीम में स्थित आराजी नम्बर 16444/10515 के संबंध में न्यायालय के निर्णय एवं डिकी की पालना में खोले गये त्रुटिपूर्ण नामान्तरण की अपील प्रस्तुत की है।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरण की जानकारी तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी कर उक्त भूमि तहसीलदार भीम की होना बताया है जबकि उक्त भूमि आबादी में दर्ज होकर ग्राम पंचायत का कब्जा होकर दुकानें बनी हुई है जिसके संबंध में पारित आदेश क्षेत्राधिकार से परे होकर आरम्भ से ही अवैध है। ऐसे मामले में जानकारी से मियाद प्रारम्भ होती है इसलिये मियाद माफ किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा अपना शपथपत्र पेश किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को मौखिक बहस में निवेदन करते हुए कहा कि राजस्व ग्राम भीम में स्थित आबादी भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर, भीम द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी क्षेत्राधिकार से परे होने से स्वीकृत किया गया नामान्तरण अवैध है। उक्त नामान्तरण की जानकारी तहसीलदार भीम के नोटिस पर अपीलार्थी को हुई है। आबादी भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को सुनवाई की अधिकारिता नहीं है। राजस्व न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी के संबंध में अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के यहां पर अपील पेश की जो स्वीकार कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है और प्रकरण वर्तमान में न्यायालय सहायक कलक्टर, भीम के यहां पर विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी वर्तमान में प्रश्नचिन्ह होने से उक्त नामान्तरण निरस्त किया जावे तथा भूमि ग्राम पंचायत के नाम पर पुनः आबादी में दर्ज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तरण नियमानुसार है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे। यह भी निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकरण सन् 1995 में स्वीकृत किया गया है जिसकी अपील इस न्यायालय में 21 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। अपील 21 वर्ष बाद पेश करने का कोई उचित आधार व कारण नहीं बताया गया है। अपीलार्थी अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त देरी को माफ नहीं किया जा सकता। अपील भी आधारहीन है,इसलिये खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन् विचार किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 2735 दिनांक: 05.05.1995 के अवलोकन से यह नामान्तरण राजस्व ग्राम भीम में स्थित आबादी भूमि के सम्बंध में स्वीकृत किया गया हैं जो न्यायालय के निर्णय एवं डिकी के आधार पर स्वीकृत किया गया है, जिसके विरूद्ध यह अपील अपीलार्थी द्वारा 21 वर्ष बाद इस न्यायालय में पेश की है जिसका आधार तहसीलदार भीम द्वारा नोटिस देना बताया है लेकिन उक्त नोटिस की प्रति न्यायालय की पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा पेश नहीं की गयी है। 21 वर्ष की देरी का कोई पर्याप्त एवं उचित कारण भी अपीलार्थी द्वारा नहीं बताया है। उक्त देरी को माफ किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश किया जाना पाया जाता है इसलिये उक्त अपील देरी के आधार पर ही खारिज किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 28.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)